



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2013/श्रावण 23, 1935

No. 410]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2013/SRAVANA 23, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 549(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 5 और धारा 13 के साथ पठित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित करता है।

[सं. जेड-28016/19/2013-एसएसएच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2013

G.S.R. 549 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso under sub-section (1) of Section 3 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, read with Section 5 and Section 13 of the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012, the Ministry of Health and Family Welfare, with the approval of the competent authority, establishes the All India Institute of Medical Sciences at Rae Bareilly in the State of Uttar Pradesh.

[No. Z-28016/19/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.